अध्याय–IV

4. राज्य सरकार के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किये गये संव्यवहारों की नमूना जाँच से निकलने वाले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा के निष्कर्ष इस अध्याय में शामिल हैं।

लोक निर्माण विभाग

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

4.1 परिहार्य व्यय और राजस्व की हानि

कम्पनी अधिशेष मृदा की बिक्री के लिए स्वयं के आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप अधिशेष मृदा के निस्तारण पर ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ, जो अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया था, इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़ के राजस्व से वंचित किया गया।

सभी सिविल निर्माण कार्यों में मृदा का कार्य एक महत्वपूर्ण तत्व है। चूँकि मृदा एक बिक्री योग्य वस्तु है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट मृदा की विक्रय दर निर्धारित करता है।

31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर सीएजी की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तरों क्रमशः 3.3 और 3.1.5 की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है जिनमें अधिशेष मृदा के निपटान पर परिहार्य व्यय से सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को शामिल किया गया था। इसी प्रकार की अनियमितता कम्पनी में पुनः पायी गयी है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) मुख्य रूप से सिविल निर्माण कार्यों में लगी हुई है। अपनी परियोजनाओं में मृदा के कार्य के महत्व को देखते हुए, कम्पनी ने अपनी परियोजनाओं के लिए आवश्यक/खुदाई से प्राप्त मृदा के क्रय/निस्तारण के तरीके को निर्धारित किया (02 नवम्बर 2015)। कम्पनी के आदेश में साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि सम्बंधित इकाई मृदा की किसी भी आवश्यकता के लिए सर्वप्रथम, उसी जिले में अन्य इकाईयों से पूछताछ करेगी। उनके द्वारा मृदा की आवश्यकता न होने की स्थिति में, अधिशेष मृदा को पारदर्शी तरीके से समाचार पत्र में अधिसूचना देकर विक्रय किया जाएगा।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ (ग्राहक) के नए परिसर में शिक्षण ब्लॉक के निर्माण का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार (जीओयूपी) द्वारा ₹ 363.89 करोड़[1] की स्वीकृत लागत पर कम्पनी को सौंपा गया था (मार्च 2015)। 29 मई 2015[2] को कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार, कार्य में निम्नतल का निर्माण शामिल था और इसलिए, नींव और निम्नतल की खुदाई से प्राप्त और पृष्ठभरण के पश्चात बची भारी मात्रा में मृदा के निस्तारण की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2018) कि कम्पनी की निष्पादन इकाई[3] को कार्य के निष्पादन के दौरान मृदा के निस्तारण की आवश्यकता के बारे में पता था लेकिन यह

---

[1] जी.ओ. नंबर. 25/2–15/328/71–2–15–आरएम–9/2011, दिनांकः 04.02.2015 के द्वारा।
[2] टीएस नंबर 39/2015–16 के द्वारा।
[3] पीजीयू यूनिट–I, लखनऊ।

निर्माण स्थल से अधिशेष मृदा को बेचने की व्यवस्था करने में विफल रही। इकाई ने अधिशेष मृदा को बेचने के बजाय, खुदाई की गई 1,76,224.93 घनमीटर मृदा के 10 नवम्बर 2015 से 8 फरवरी 2016 के दौरान कार्टेज पर ₹ 3.14 करोड़[4] के व्यय के बाद इसका निस्तारण किया। इस प्रकार, कम्पनी की निष्पादन इकाई द्वारा अनियमित निर्णय के कारण अधिशेष मृदा के निस्तारण पर कम्पनी ने ₹ 3.14 करोड़ का परिहार्य व्यय किया, जोकि अंततः जीओयूपी द्वारा वहन किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय खजाने को ₹ 1.41 करोड़[5] के राजस्व से वंचित किया गया।

सीएजी के पूर्व के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित किये जाने के बावजूद वर्तमान प्रकरण समान प्रकृति की अनियमितता की निरंतरता का सूचक है।

प्रबंधन ने उत्तर में लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी/जून 2020) और बताया कि एक जांच समिति का गठन किया गया है (23 दिसंबर 2019) और तीन कर्मियों[6] जोकि निविदा आमंत्रित किए बिना अधिशेष मृदा के निस्तारण हेतु दोषी पाए गए हैं, को आरोप पत्र निर्गत कर दिया गया है (जून 2020)।

इस प्रकार, अपने स्वयं के आदेश का पालन न करने के कारण, कम्पनी ने जीओयूपी को परिहार्य व्यय और राज्य के राजस्व खजाने की हानि पहुँचाई (जून 2020)।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (नवंबर 2019)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

4.2 ब्याज का परिहार्य भुगतान

अनुचित लेखांकन प्रणाली के कारण कम्पनी अपनी आय और अग्रिम कर देयता का सही आकलन करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 सपठित धारा 96 और 134 के अनुसार, कम्पनी के लेखाओं को ऑडिट रिपोर्ट के साथ शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर रखने की जिम्मेदारी कम्पनी के निदेशक मण्डल की होती है। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 208 यह प्रावधानित करती है कि प्रत्येक करदाता जिसके ऊपर ₹ 10,000 या अधिक की कर देयता है, अधिनियम के तहत निर्धारित दर और नियम से अग्रिम कर का भुगतान करेगा। अग्रिम कर का न्यूनतम 90 प्रतिशत कर जमा करने में विफलता के साथ–साथ निर्धारित स्लैब[7] के अनुसार कर जमा करने में कमी, अधिनियम की धारा 234 बी और 234 सी के तहत यथानिर्धारित अलग से एक प्रतिशत की दर से प्रति माह अथवा माह के एक भाग के लिए दण्डात्मक ब्याज को आकर्षित करती है।

[4] विभागीय रूप से निष्पादित कार्य के लिए पांच प्रतिशत घटाकर, 1,76,224.93 घनमीटर x ₹ 187.75 प्रति घनमीटर।

[5] लखनऊ के जिला मजिस्ट्रेट के दिनांकः 15.12.2014 से प्रभावी सर्किल दर ₹ 80 प्रति घनमीटर की दर से गणना की गई।

[6] सहायक स्थानिक अभियंता, उप–अभियंता (सिविल) एवं सहायक लेखाधिकारी–2 (सेवानिवृत्त)।

[7] वित्तीय वर्ष के 15 जून को या उससे पहले (इस तरह के अग्रिम कर के 15 प्रतिशत से कम नहीं), 15 सितम्बर (इस तरह के अग्रिम कर जो पहले भुगतान की गई किस्त की धनराशि को घटाकर 45 प्रतिशत से कम नहीं), 15 दिसम्बर (इस तरह के अग्रिम कर जो पहले भुगतान की गई किस्त की धनराशि को घटाकर 75 प्रतिशत से कम नहीं) एवं 15 मार्च (भुगतान की गई पूर्व किस्तों की धनराशियों में से ऐसे अग्रिम कर की पूरी धनराशि को घटाकर)।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में सेतुओं के निर्माण के लिए की गई थी। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी अपनी आय पर अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अग्रिम कर के रूप में ₹ 16.51 करोड़[8] की धनराशि जमा की। कम्पनी ने अपने अनंतिम लेखाओं को तैयार किया (28 सितम्बर 2016) और ₹ 36 करोड़ की कुल आय को प्रदर्शित किया, जिस पर आयकर की देयता ₹ 12.45 करोड़ बनती थी। उपरोक्त वित्तीय परिणामों के आधार पर, कम्पनी ने 28 सितम्बर 2016 को अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया। कम्पनी ने अप्रैल 2018 में वर्ष 2015–16 के लिए अपने लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिसे 3 अक्टूबर 2018 को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। इस प्रकार, कम्पनी एजीएम में लेखाओं को रखने की नियत तारीख के 24 माह बाद ही लेखाओं पर निदेशक मण्डल की अनुमति प्राप्त कर सकी। अंतिम लेखाओं के आधार पर, कम्पनी ने ₹ 79.67 करोड़ की कुल आय को प्रदर्शित किया, जिस पर आयकर की देयता ₹ 31.16 करोड़ बनती थी, जिसमें अधिनियम की धारा 234 बी और 234 सी के तहत ₹ 3.59 करोड़ की ब्याज देयता शामिल थी। ₹ 14.65 करोड़ के शेष कर की धनराशि 19 जुलाई 2019 को जमा की गई। इस प्रकार, कम्पनी की वास्तविक कर योग्य आय अनंतिम लेखाओं के अनुसार गणना की गई कर योग्य आय के दोगुने से अधिक थी।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2019) कि अनुमानित आय और वास्तविक आय के बीच का अंतर मुख्य रूप से टर्नओवर में ₹ 147 करोड़ की वृद्धि और अन्य आय (मुख्य रूप से बैंकों से ब्याज) में ₹ 22 करोड़ की वृद्धि के कारण थी। यह उल्लेख करना उचित है कि यद्यपि मार्च 2016 में बैंकों द्वारा ब्याज जमा किया गया था, परन्तु बैंक खातों के मिलान न होने के कारण कम्पनी को सितम्बर 2016 में इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

यह आवश्यक है कि कर देयता के उचित आंकलन और ब्याज भुगतान की घटनाओं से बचने के लिए एवं अग्रिम कर जमा करने के लिए आवश्यक सभी प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के लिए एक उचित लेखांकन प्रणाली[9] हो। हालाँकि, सितम्बर 2016 में रिटर्न दाखिल करने के समय भी, यानी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के बाद, कम्पनी को वर्ष 2015–16 के लिए अपने टर्नओवर और ब्याज से आय के बारे में जानकारी नहीं थी, जिससे लेखाओं के समय पर अन्तिमीकरण तथा कम्पनी की आय का उचित आंकलन तथा फलस्वरूप कर देयता को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी की लेखांकन प्रणाली में कमी का संकेत मिलता है।

प्रबंधन/सरकार ने उत्तर में, लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया (फरवरी 2020/अगस्त 2020) और कहा कि टर्नओवर और ब्याज में वृद्धि का मुख्य कारण प्रयुक्त सामग्री/ओवरहेड्स का लेखांकन न होना और कम्पनी की इकाईयों द्वारा बैंक खातों का मिलान न करना था। इसके अतिरिक्त, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश और चेतावनी जारी की गई है।

इस प्रकार, कम्पनी की अनुचित लेखांकन प्रणाली के परिणामस्वरूप ₹ 3.59 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

---

[8] अग्रिम कर के रूप में ₹ 12.00 करोड़ और स्रोत पर कर ₹ 4.51 करोड़।

[9] इकाइयों द्वारा मासिक लेखाओं को समय पर तैयार कर और उनका संकलन और वित्तीय विवरणों को समय से तैयार करना।

4.3 ठेकेदार को अनुचित लाभ

एक ठेकेदार को कार्य के आवंटन और कार्य के निष्पादन में अनुचित लाभ देने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड को ₹ 2.20 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड [10] (कम्पनी) ने जिला वाराणसी में सामनेघाट–रामनगर रोड पर गंगा नदी के ऊपर एक 2–लेन उच्च स्तरीय सेतु के लिए नेविगेशनल स्पैन (P7-P9) के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए मेसर्स ग्लोबल स्टील कम्पनी (ठेकेदार) के साथ ₹ 3.10 करोड़ की लागत पर एक अनुबन्ध किया (जनवरी 2015)। कार्य प्रारम्भ करने और पूर्ण करने की निर्धारित तिथियाँ क्रमशः 21 जनवरी 2015 और 20 अप्रैल 2015 थीं। कार्य के दायरे में स्टील गर्डर्स[11] की डिजाइन, संरचना, संयोजन और निर्माण/लॉन्चिंग शामिल थी। अनुबन्ध की कुछ विशिष्ट शर्तें निम्न प्रकार थीं:

- अनुबन्ध के नियमों और शर्तों के अनुसार, ठेकेदार को कार्य की सम्पूर्ण अवधि के लिए तथा कार्य की समाप्ति के एक वर्ष के पश्चात तक के लिए अनुबन्ध के मूल्य का 10 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति जमा करना था (खण्ड 32.1: बोलीदाताओं को निर्देश)।
- कम्पनी को किसी भी कार्य में हानियों/क्षतियों के विरूद्ध ठेकेदार को बीमा कवर प्रदान करना था (खण्ड 13.1: अनुबंध की सामान्य शर्तें)।
- भुगतान अनुसूची के अनुसार, ठेकेदार को इस्पात सामग्री की खरीद और परीक्षण पर 35 प्रतिशत, सभी इस्पात कार्यों की संरचना पर 15 प्रतिशत, कार्यशाला में सफल परीक्षण पर 10 प्रतिशत, निर्माण–स्थल पर निर्मित सामग्री के परिवहन पर 10 प्रतिशत, स्टील गर्डर्स के अंतिम निर्माण और उन्हे उचित स्थिति में संरेखित करने पर 15 प्रतिशत और सफल अंतिम लॉन्चिंग और सम्बंधित सपोर्ट को रखने, ब्रेसिंग को फिक्स करने, नट–बोल्ट्स के पुनः परीक्षण, अंतिम रंग रोगन इत्यादि के बाद काम की लागत का 15 प्रतिशत भुगतान करना था।

ठेकेदार ने गर्डर्स के डिजाइन की तैयारी और उनके निर्माण के बाद, गर्डर्स की संरचना और लॉन्चिंग का काम प्रारम्भ किया। तीन गर्डरों में से, एक गर्डर जी 2 (मध्य) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था (अगस्त 2015) और अन्य दो गर्डर्स जी 1 और जी 3 को लॉन्च करने का काम शुरू किया गया था (सितंबर 2015)। हालाँकि, 42 मीटर की ऊंचाई तक लॉन्च किए जाने के बाद ये गर्डर्स ध्वस्त हो गए (सितंबर 2015) और नदी में गिर गए, जिसमें पहले लॉन्च किया गया गर्डर भी शामिल था। परिणामस्वरूप, ठेकेदार द्वारा किया गया कार्य निष्फल हो गया। ठेकेदार ने अपनी लागत पर कार्य को पूर्ण करने का आश्वासन दिया (सितंबर 2015), हालाँकि, उसने कार्य को पुनः प्रारम्भ नहीं किया और उसके बाद उत्तर देना बंद कर दिया। यद्यपि ठेकेदार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी (सितंबर 2015), हालाँकि कम्पनी को पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्षतिपूर्ति बांड की उपलब्धता के बावजूद हानि की वसूली के लिए ठेकेदार के विरूद्ध अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है (जून 2020)। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरान्त, कम्पनी ने ठेकेदार को विलम्ब से ब्लैक लिस्टेड कर दिया (नवम्बर 2019) और एक मध्यस्थ नियुक्त किया (दिसंबर 2019)। कम्पनी ने अपनी

[10] खण्ड– I, वाराणसी।

[11] सेतु डिजाइन के संदर्भ में ''गर्डर'' शब्द का प्रयोग प्रायः ''बीम'' के साथ किया जाता है। गर्डर कंक्रीट या स्टील से निर्मित हो सकता है।

लागत ₹ 2.87 करोड़ पर एक अन्य ठेकेदार (मेसर्स जेसीएल इंफ्रा लिमिटेड, मेरठ) के माध्यम से कार्य को पूर्ण कराया (जुलाई 2016)।

लेखापरीक्षा ने देखा (अगस्त 2017) कि कम्पनी द्वारा कार्य आवंटन और कार्य के निष्पादन में निम्नलिखित अनियमितताएं की गयी :

- काम के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की गई थी। ठेकेदार की तकनीकी योग्यता सुनिश्चित किए बिना और कोई औचित्य दर्ज किए बिना कम्पनी द्वारा चयन के आधार पर उसको कार्य आवंटित किया गया। इससे कार्य के लिए तकनीकी रूप से सक्षम ठेकेदार प्राप्त होने से कम्पनी वंचित हो गयी।

- प्रबंधन ने अनुबन्ध के नियम एवं शर्तों के अनुसार यथा आवश्यक, कार्य के पूर्ण हो जाने के एक वर्ष के पश्चात तक वैध दस प्रतिशत के बजाय 14 मई 2015 तक वैध केवल पाँच प्रतिशत की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त की। इस प्रकार, कम्पनी वित्तीय सुरक्षा तंत्र का पालन करने में विफल रही।

- कम्पनी ठेकेदार से बीमा कवर प्राप्त करने में भी विफल रही। फलस्वरूप, कम्पनी घटित हानियों/क्षतियों की क्षतिपूर्ति बीमा कम्पनी से करने की स्थिति में नहीं थी।

- भुगतान अनुसूची के अनुसार, कम्पनी को स्टील गर्डर्स के अंतिम निर्माण और उन्हे उचित संरेखण में रखने के पश्चात (15 प्रतिशत) तथा सफल अंतिम लॉन्चिंग, सम्बंधित सपोर्ट को रखने, ब्रेसिंग को फिक्स करने, नट–बोल्ट्स के पुनः परीक्षण, अंतिम रंग–रोगन इत्यादि (15 प्रतिशत) के पश्चात ₹ 93 लाख (अनुबंध मूल्य का 30 प्रतिशत) जारी करना था। इसलिए, कुल भुगतान को ₹ 2.17 करोड़[12] तक सीमित रखा जाना था, लेकिन कंपनी ने काम के सफल समापन से पहले ₹ 3.00 करोड़ भुगतान कर दिए।

गर्डर्स के ध्वस्त होने के घटना की जांच के लिए गठित (सितंबर 2015) एक समिति ने रिपोर्ट की (नवम्बर 2015) कि कम्पनी के पाँच सम्बंधित कर्मी[13] बिना निविदा आमंत्रित किए एक अनुभवहीन ठेकेदार के चयन के लिए और निष्पादन की अनुचित निगरानी के लिए जिम्मेदार थे। उपरोक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर, प्रबंध निदेशक (एमडी) ने उपरोक्त पांच कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए एक समिति गठित की (दिसंबर 2015)। हालांकि, जांच पूरी करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। अनुशासनात्मक समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है (फरवरी 2020)। दो कर्मी (मुख्य परियोजना प्रबंधक और उप परियोजना प्रबंधक) जो कि जाँच समिति द्वारा उत्तरदायी पाये गये थे, दिसंबर 2016/जून 2018 में सेवानिवृत्त हो गए और इसलिए उनके खिलाफ जांच माननीय न्यायालय के आदेश से हटा दी गई थी। दोनों कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान भी कर दिया गया है।

इस प्रकार, ठेकेदार को कार्य आवंटन और कार्य के निष्पादन में विभिन्न अनुचित लाभों को प्रदान करने से कम्पनी को ₹ 2.20 करोड़[14] की हानि हुई।

उत्तर में प्रबंधन/सरकार ने बताया (मार्च 2020/अगस्त 2020) कि कार्य पूर्ण कराने की प्राथमिकता को देखते हुए, कार्य को निविदा के बजाय चयन के आधार पर आवंटित किया गया था। जीएम (वाराणसी) द्वारा जारी किए गए कार्य के आवंटन पत्र के

[12] ₹ 3.10 करोड (कुल अनुबंध मूल्य) का 70 प्रतिशत।

[13] संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक, उप परियोजना प्रबंधक, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता।

[14] ठेकेदार को किए गए कुल भुगतान ₹ 3.00 करोड़ में से, जमानत राशि के रूप में प्रबंधन द्वारा रोकी गयी धनराशि ₹ 80.03 लाख को घटाकर, जो ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न कार्यों पर थी।

अनुसार पांच प्रतिशत की निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त की गई थी। बीमा कवर के स्थान पर ठेकेदार से क्षतिपूर्ति बांड प्राप्त किया गया था। कार्य के हित में ठेकेदार के अनुरोध पर उसे अग्रिम का भुगतान किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। कम दर पर निष्पादन प्रतिभूति प्राप्त करना अनुबंध की शर्तों के विरूद्ध था। क्षतिपूर्ति बांड की उपलब्धता के बावजूद नुकसान की वसूली के लिए अब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है (जून 2020)। अग्रिम भुगतान जारी करने से पहले कोई बैंक गारंटी नहीं ली गई थी (जून 2020)। इस प्रकार, तथ्य यह है कि न केवल ठेकेदार को कार्य आवंटन तथा कार्य निष्पादन में अनुचित लाभ पहुँचाया गया बल्कि ठेकेदार और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में ठोस प्रयास का अभाव था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.20 करोड़ की हानि के अलावा सेतु के पूर्ण होने में विलम्ब हुआ।

शहरी विकास विभाग

उत्तर प्रदेश जल निगम

4.4 विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान

उत्तर प्रदेश जल निगम ने त्रुटिपूर्ण विद्युत बिलों के सत्यापन एवं अधिक अनुबंधित भार के कारण ₹ 3.54 करोड़ के विद्युत शुल्क का परिहार्य भुगतान किया।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा अधिसूचित (जून 2015) सामान्य प्रावधानों के अनुसार, 10 किलोवाट और उससे अधिक के अनुबंधित भार वाले सभी उपभोक्ताओं के लिए, एक महीने के दौरान बिल योग्य भार मीटर द्वारा अभिलेखित वास्तविक अधिकतम भार या अनुबंधित भार का 75 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

उत्तर प्रदेश जल निगम[15] (निगम) वाराणसी में कोनिया सीवेज पंपिंग स्टेशन (कोनिया एसपीएस) और दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (दीनापुर एसटीपी) का संचालन करता है, जिसके लिए लाइट मीडियम वोल्टेज (एलएमवी)[16]–7 श्रेणी के तहत 1993 से क्रमशः 2,000 और 1,200 किलो वोल्ट एम्पियर (केवीए) के अनुबंधित भार के साथ मीटर्ड कनेक्शन थे। जून 2015 से मार्च 2019[17] की अवधि के लिए यांत्रिक खण्ड–II, वाराणसी के बिजली बिलों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा (फरवरी और नवम्बर 2019) कि वास्तविक अधिकतम मांग अनुबंधित भार के 75 प्रतिशत से कम[18] थी। हालाँकि, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पूविविनिलि) ने गलत तरीके से पूर्ण अनुबंधित भार पर मांग शुल्क लगाया, जिसे खण्ड में जूनियर इंजीनियर द्वारा सत्यापित[19] भी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, ₹ 1.09 करोड़[20] ***(परिशिष्ट–4.1 एवं परिशिष्ट–4.2)*** के विद्युत प्रभार की अधिक बिलिंग और परिहार्य भुगतान हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद, दोनों संयंत्रों के बिजली बिलों को दिसंबर 2019 से ठीक किया गया था, हांलाकि पहले की अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना शेष है (जून 2020)।

---

[15] यांत्रिक खण्ड–II, वाराणसी।

[16] सार्वजनिक जल कार्यों हेतु एलएमवी–7 को वर्गीकृत किया गया है।

[17] जून 2015 से मार्च 2019 के दौरान कुल बिल की धनराशि दीनापुर एसटीपी और कोनिया एसपीएस के लिए क्रमशः ₹ 10.45 करोड़ और ₹ 9.20 करोड़ थी।

[18] अप्रैल 2018 में दीनापुर एसटीपी की 970.20 केवीए को छोड़कर।

[19] डिवीजन बिलों का सत्यापन करता है और भुगतान निगम द्वारा केंद्रीय रूप से किया जाता है।

[20] कोनिया एसपीएस *(परिशिष्ट–1)* पर ₹ 0.68 करोड़ और दीनापुर एसटीपी *(परिशिष्ट–2)* पर ₹ 0.41 करोड़।

इसके अतिरिक्त, यूपीईआरसी द्वारा जारी टैरिफ दरें यह निर्धारित करती हैं कि यदि कैपासिटर की स्थापना न होने के कारण उपभोक्ता का पावर फैक्टर अनिवार्य मानदण्डों[21] से नीचे आ जाता है तो उपभोक्ता पर बिल की राशि का 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। यद्यपि, कैपासिटर स्थापित किए गए थे (1994), फिर भी पूविविनिलि ने गलत तरीके से कैपासिटर अधिभार लगाया एवं दिसंबर 2018 तक खण्ड में जूनियर इंजीनियर द्वारा बिलों का सत्यापन किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.63 करोड़[22] ***(परिशिष्ट–4.1** एवं **परिशिष्ट–4.2)*** के कैपासिटर अधिभार की अधिक बिलिंग और परिहार्य भुगतान हुआ। कैपासिटर अधिभार को अप्रैल 2019 और उसके बाद के बिलों से हटा लिया गया है, हालाँकि, पहले की अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना शेष है (जून 2020)।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि कोनिया एसपीएस के लिए 2,000 केवीए के अनुबंधित भार के विरूद्ध, जून 2015 से मार्च 2019 की नमूना जाँच अवधि के दौरान बिजली की वास्तविक मांग 277 से 758.60 केवीए के बीच थी। इसलिए, अतिरिक्त भुगतान से बचने के लिए, निगम को आवश्यक था कि आपूर्ति कोड–2005 की क्लॉज 4.41 के अनुसार इसका भार घटाकर 1,200 केवीए[23] कर दिया जाना चाहिए था, परन्तु मार्च 2019 तक इसे कम नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.82 करोड़ ***(परिशिष्ट–4.1)*** के बिजली शुल्क का परिहार्य भुगतान किया गया।

उत्तर में, प्रबंधन ने बताया (मई 2020) कि यूपीईआरसी के प्रावधान से अवगत होने के बाद, इस मामले को पूविविनिलि के साथ उठाया गया और दोनों संयंत्रों के लिए बिलों को दिसम्बर 2019 से संशोधित किया गया। कोनिया एसपीएस का विद्युत भार 1,200 केवीए करवा लिया गया है और कैपासिटर अधिभार को अप्रैल 2019 से बिलों से हटा लिया गया है। इसके अलावा, पिछले अवधि के बिलों के समायोजन के लिए पूविविनिलि के साथ पत्राचार किया जा रहा था।

वास्तविकता यही है कि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित पूर्व अवधि के बिलों की वसूली/समायोजन किया जाना अभी शेष है (जून 2020)। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा द्वारा बताया गया परिहार्य भुगतान सांकेतिक है और लगभग चार वर्षों की अवधि के लिए है। वास्तविक परिहार्य भुगतान काफी अधिक हो सकता है क्योंकि गलत बिलिंग और अतिरिक्त अनुबंधित भार बहुत पहले से चल रहा है। यह निगम के सम्बंधित अधिकारियों द्वारा क्षीण आंतरिक नियंत्रण और निगरानी का संकेतक है।

निगम को पूर्व अवधियों (जून 2015 से पहले) के बिजली बिलों की समीक्षा करनी चाहिए और समायोजन के लिए पूविविनिलि के साथ गलत बिलिंग का मामला उठाना चाहिए। निगम को पहले के समय (जून 2015 से पहले) के लिए कोनिया एसपीएस में अधिक अनुबंधित भार के कारण नुकसान का भी आंकलन करना, कारणों का विश्लेषण करना और सम्बंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय करनी चाहिए।

प्रकरण को शासन को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020)। उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2020)।

---

[21] अगस्त 2016 से नवंबर 2017 तक 0.85 और दिसंबर 2017 के बाद से 0.90 से नीचे पावर फैक्टर।

[22] कोनिया एसपीएस *(परिशिष्ट–1)* पर ₹ 0.77 करोड़ और दीनपुर एसटीपी *(परिशिष्ट–2)* पर ₹ 0.86 करोड़।

[23] 1,200 केवीए के अनुबंधित लोड के लिए मांग शुल्क का न्यूनतम बिलिंग 900 केवीए तक आता है। वास्तविक मांग जून 2015 से मार्च 2019 के दौरान 900 केवीए से नीचे रही।